डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर चौहटन मुकाम **चौहटन**

व इजलास ***श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस.***

अनवान

वादी – **1.अली पुत्र नोबू , जाति मुसलमान**
निवासी बूठ राठौड़ान, तहसील चौहटन,
जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण – **1.सोबदार पुत्र अबन, जाति मुसलमान**
निवासी बूठ राठौड़ान, तहसील चौहटन,
2.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण – वादी वकील – **श्री भाखराराम गोदारा**
प्रतिवादी वकील – **श्री रूपसिंह राठौड़**

वाद बाबत 88,53,92ए,188 RT Act.

मुकदमा नं. 214/2012

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. **न्यायालय** बहाजरी **श्री भाखराराम गोदारा** एड. मिनजानिब मुदाई व **श्री रूपसिंह राठौड़** एड . मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर **ग्राम बूठ राठौड़ान, तहसील चौहटन में खसरा सं. मूल खसरा सं. 419/1 रकबा 48.00 बीघा से नवसृजित खसरा सं. 846/419 रकबा 36.00 बीघा एवं खसरा सं. 847/419 रकबा 12.00 बीघा आया हुआ है। उक्त वादग्रस्त भूमि में से खसरा सं. 846/419 रकबा 36.00 बीघा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का नाम विलोपित कर सम्पूर्ण 36.00 बीघा भूमि वादी की खातेदारी एवं खसरा सं. 847/419 रकबा 12.00 बीघा भूमि प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारी में घोषित की जाती है।** लगातार शेष पृष्ट पर........................ बीज .... मबलिग .... बाबत .... पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक .... को अदा करे।

वसगत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 31.05.2018 को जारी की गई।

दस्तखत.....................

मुहर ओहदा.....................

सहायक कलक्टर चौहटन

मुदई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्चीदाया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वर्जी महनताना वकील) पर खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे .... करना।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 214/2012

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

अनवान

वादी – 1.अली पुत्र नोबू , जाति मुसलमान
निवासी बूठ राठौड़ान, तहसील चौहटन,
जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण – 1.सोबदार पुत्र अबन, जाति मुसलमान
निवासी बूठ राठौड़ान, तहसील चौहटन,
2.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण – वादी वकील – श्री भाखराराम गोदारा
प्रतिवादी वकील – श्री रूपसिंह राठौड़, श्री शाकर खान

निर्णय

वाद अन्तर्गत धारा 88,53,92ए,188 RT Act.

दिनांक :– 31.05.18

वादी के वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादी सं. 1 सोबदार के पिता अबन वल्द आमद से संवत् 2035 तद्नुसार दिनांक 27.01.79 को खेत खसरा सं. 419/1 रकबा 48.00 बीघा मौजा बूठ राठौड़ान में से 3/4 हिस्सा से 36.00 बीघा भूमि जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र प्राप्त कर कब्जा प्राप्त किया था। शेष बच्ची 1/4 हिस्सा से 12.00 बीघा भूमि प्रतिवादी सं. 1 सोबदार के रखी गयी थी। माफिक विक्रय पत्र हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण सं. 529 खसरा सं. 419/1 रकबा 48.00 बीघा में से अली पुत्र नोबू 3/4 हिस्सा एवं सोबदार पुत्र अबन 1/4 हिस्सा खातेदारी में दर्ज कर दिनांक 18.12.1979 को भर कर जांच हेतु भू.अ. नि. को पेश की, जिसकी रिपोर्ट के पश्चात् सरपंच बूठ राठौड़ान ने सर्वसम्मति से उपरोक्त नामान्तरकरण पारित कर दिया, परन्तु उसके पश्चात् हल्का पटवारी ने प्रतिवादी सं. 1 के पिता के साथ साजिश कर खसरा सं. 419/1 के स्थान पर काट–छांट कर 419/2 तथा 48 बीघा की काट–छांट कर उसके उपर 36 लिखकर दोहरी लेखनी से गोल घेरा कर उसके नीचे 36.00 बीघा कर पुनः उक्त नामान्तरकरण के कालम सं. 11 के नीचे सोबदार पुत्र अबन कौम मुसलमान सा.देह खसरा सं. 419/1 रकबा 12.00 की प्रविष्ठि अभिलिखित कर दी गई। जिसका वादी को कभी ज्ञान नहीं करवाया गया। वादी अपनी खरीदसुदा एवं कब्जा काश्त की

36.00 बीघा भूमि पर अपनी खातेदारी समझता रहा। इस प्रकार नवीनतम खसरा सं. 846/419 तथा 847/419 रकबा क्रमशः 36.00 बीघा एवं 12.00 बीघा मौजा बूठ राठौड़ान दर्ज हो गया। वादग्रस्त खेत वक्त खरीद 48.00 बीघा था, जिसमें वादी ने 3/4 हिस्सा की 36.00 बीघा भूमि खरीदी तथा प्रतिवादी सं. 1 के खाते में 1/4 हिस्सा की 12.00 बीघा भूमि रही , जिसका वादी एवं प्रतिवादी सं.1 ने सहमति से मौका पर बंटवाड़ा किया । परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने वादी के साथ धोखा कर गलत इन्द्राज रेकर्ड में किया । जिसको अपास्त कराने एवं अपनी खरीदसुदा 36.00 भूमि अपने हिस्से में घोषित करवाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ट पृथक कर विभाजन करवाने हेतु वाद पेश कर इस्तदुआ चाही गई।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता शाकर खान ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं. 2 का सम्मन बाद तामिल प्राप्त जो पत्रावली शामिल किया गया। वकील वादी द्वारा वाद के साथ चालू जमाबन्दी मौजा बूठ राठौड़ान संवत् 2065 से 2068 खसरा सं. 846/419 व 847/419, नामान्तरकरण सं. 529, रजिस्ट्री, अपील सं. 328/10 अली बनाम ग्राम पंचायत बूठ राठौड़ान विड्रो, राशन कार्ड की छायाप्रतियां न्यायालय में पेश की ।

प्रतिवादी वकील (प्रार्थी वकील) ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 पेश किया । विप्रार्थी वकील (वाद में वादी) द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 पेश का जवाब पेश किया गया। वकील उभयपक्षकारान की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 पेश पर बहस सुनी गयी। जिसके आधार पर प्रार्थी वकील (वाद में प्रतिवादी) द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 खारीज किया गया।

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत/कोर्ट कैम्प बूठ राठौड़ान में पेश हुई। उभयपक्षकारान मय वकील उपस्थित हुए। उभयपक्षकारान ने राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि उक्त वाद में हम पक्षकारों के बीच राजीनामा हो गया है। अतः वाद में वर्णित तथ्यों अनुसार खातेदारी घोषित की जावे , अभी हम बंटवाड़ा नहीं चाहते है। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र वास्ते वाद में बंटवाड़ा न हीं कर घोषणा डिक्री जारी करवाने का पेश किया।

पत्रावली का अध्ययन/ अवलोकन किया गया। पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अध्ययन/अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि मौजा बूठ राठौड़ान में खसरा सं. 419/1 रकबा 48.00 बीघा का आया हुआ था। जिसमें से 3/4 हिस्सा से रक़बा 36.00 बीघा भूमि वादी ने प्रतिवादी सं. 1 के पिता से जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र 2500/– रूपये प्रतिफल अदा कर खरीदी थी। उक्त खरीदी गई भूमि का माफिक विक्रय पत्र नामान्तरकरण सं. 529 पारित किया गया । तत्पश्चात् हल्का पटवारी ने प्रतिवादी सं. 1 सोबदार के पिताजी से साजिश कर नामान्तरकरण सं. 529 के कालम 12 में काट–छांटकर 419/1 के स्थान पर 419/2 तथा 48.00 बीघा के स्थान पर 36.00 बीघा लिखकर दोहरी लेखनी से गोल घेरा कर उसके नीचे 36 बीघा लगान 1.14 रूपये कायम कर पुनः उक्त नामान्तरकरण के कालम सं. 11

सहायक कलक्टर
चौहटन

के नीचे सोबदार पुत्र अबन कौम मुसलमान सा.देह खसरा सं. 419/1 रकबा 12.00 बीघा लगान 36 पैसे की प्रविष्ठि अभिलिखित कर दी। जो नामान्तरकरण सं. 529 का अवलोकन करने से स्पष्ट हो रहा है। जिसके विरूद्ध अपील वादी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी मुख्यालय बाड़मेर में की गई। जो बाद में न्यायालय स्थानान्तरण होने पर चौहटन स्थानान्तरित की गई। जिसे प्रतिवादी ने वादी को उसकी जमीन की रजिस्ट्री करवाकर देने का झांसा देकर अपील जरिये राजीनामा विड्रो करवा दी । लेकिन उसके बाद प्रतिवादी अपने उक्त वादे से मुकर गया । इस प्रकार स्पष्ट हो रहा है कि राजस्व कर्मचारियों एवं प्रतिवादी सं. 2 व उसके पिता ने वादी के साथ छलकपट कर नामान्तरकरण सं. 529 में कांट छाट किया है। प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट हो चुका है कि खसरा सं. 419/1 रकबा 48.00 बीघा भूमि में से रकबा 36.00 बीघा भूमि वादी द्वारा प्रतिफल अदा कर खरीदी गई है। अतः उक्त 36.00 बीघा भूमि वादी अकेले के खातेदारी में घोषित करना न्यायोचित रहेगा।

अतः न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा बूठ राठौड़ान के खसरा सं. 846/419 रकबा 36.00 बीघा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा विलोपित कर सम्पूर्ण 36.00 बीघा भूमि वादी के खातेदारी में घोषित की जाती है तथा खसरा सं. 847/419 रकबा 12.00 बीघा भूमि जो प्रतिवादी की है उसे प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारी में घोषित की जाती है।

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.05.18 को न्याय आपके द्वार लोक अदालत/कोर्ट कैम्प बूठ राठौड़ान मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
सत्यमेव जयते
चौहटन

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन